

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प— रीवा, संभाग

रीवा (म.प्र.)



अखण्डेश्वर प्रसाद पिता भोला प्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम पोंडी, तह. चितरंगी,
जिला सिंगरौली (म.प्र.) निगरानीकर्ता

बनाम

- ✓ 1. हरिहरदास पिता महादेव जायसवाल
- ✓ 2. रोहिणी पिता मानिकलाल जायसवाल
- ✓ 3. रामकृपाल पिता मानिकलाल जायसवाल
- ✓ 4. मुन्सीलाल पिता मानिकलाल जायसवाल
- ✓ 5. मु० पुनसिया पिता मानिकलाल जायसवाल
- ✓ 6. कविश्वर प्रसाद पिता भोला प्रसाद जायसवाल

निवासी ग्राम पोंडी तह. चितरंगी, जिला — सिंगरौली (म.प्र.)

- 7. मध्यप्रदेश शासन

..... गैरनिगरानीकर्तागण

उत्थितकर्ता श्रीमित्र

श्री इष्ट उल्लुत
रीवा, दि० 7-06-2012

मु०
२७६१२

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 11.04.12
जो राजस्व प्रकरण क्र.113/निग./10-11
को माननीय कलेऽ महो० सिंगरौली द्वारा
पारित किया गया।

अपील अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

क०
२७६१२

संक्षिप्त आधार

निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पोंडी तह. चितरंगी जिला सिंगरौली स्थित आराजी खसरा नं.
625 रका 0.12 व 687 रकवा 0.05 को बंदोबस्त के दौरान हुए अभिलेखीय त्रुटि के सुधार
हेतु माननीय तहसीलदार महोदय चितरंगी के न्यायालय में संहिता की धारा 89 का
आवेदन प्रस्तुत किया गया। माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर

31 अप्रैल 2012

(96)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R.1931-I/12 जिला—खंडपुरी

अमरोङ्गर प्र० जायसवाल विरुद्ध बैंक फर्म प्र० जायसवाल

(1)	(2)	(3)
16-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>विवेक शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अफस-कलेक्टर, जिला <u>खंडपुरी</u> के प्रकरण क्रमांक.....[13/निगरानी] /2010-11.....में पारित आदेश दिनांक.....11.04.12.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपाठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19.....को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>✓</u> सदस्य</p>	